न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 36/2024 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2024/108

उनवान

भैरूलाल पुत्र हीरालाल निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा,जिला कोटा।

(अपीलान्ट)

बनाम

1– प्रहलाद पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
2– जोधराज पुत्र रधुनाथ जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
3– सुगना पुत्री रधुनाथ जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
4– ममता पुत्री रधुनाथ जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
5– रानी पुत्री रधुनाथ जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
6– कन्या बैवा रधुनाथ जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
7– बंशी पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
8– नैनकी पुत्री हीरालाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
9– प्रभुलाल पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
10– सुखदेव पुत्र अमरा जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
11– मृतक बाबूलाल पुत्र अमरा जर्ये कायम मुकामान
11/1– लोकेश पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
11/2– कमलेश पुत्री बाबूलाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
12/3– ब्रदी बेवा बाबूलाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
12– तस्वीर बाई पत्नी प्रभुलाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा।
13– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा,जिला कोटा

(रेस्पोडेन्ट्)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री फिरोज आबदी ,(अपीलान्ट)
अभिभाषक श्री चन्द्रमोहन शर्मा (अपीलान्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 29.11.2004

न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा

निर्णय दिनांकः– 5/3/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इंतकाल संख्या 334 दिनांक 29.11.2024 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं कानून के सिद्वि प्राप्त तथ्यो के सर्वदा विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

यह उक्त विवादित आराजीयात् खसरा नम्बर 353 रकबा 0.76 है0 ख.न. 354 रकबा 2.48 है0 खसरा नम्बर 725 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 726 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 रकबा 3.26 है0 वाके ग्राम माल नोनेरा तहसील पीपल्दा,जिला कोटा,अपीलान्ट के पिता स्व. श्री हिरालाल पुत्र पन्ना के खातेदारी में दर्ज था तथा पिता की मृत्यु के बाद के बाद उक्त विवादित आराजी अपीलान्ट व शजरा अनुसार नाम राजस्व रेकार्ड में बतोर फोती इंतकाल दर्ज होने चाहिए किन्तु राजस्व अधिकारी व कर्मचारियो की लापरवाही के कारण अपीलान्ट व अन्य भाई देवा व अन्य रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज नही हो सके किन्तु नाम नही दर्ज होने के बावजूद भी मृतक हीरालाल की मृत्यु के बाद देवा अपनी सम्पूर्ण आराजी का मालिक व काबिज था क्योकि देवा भी स्व0 हीरालाल का पुत्र था जिसकी पुष्टि उक्त इंतकाल संख्या 334 तके कॉलम नं. 9 में यह साफ होती है कि हीरालाल के एक पुत्र देवा भी था,जिसकी मृत्यु दिनांक 20.10.2000 को बिना किसी पुत्र,पुत्री,बेवा के पूर्व हो चुकी है तथा उक्त पुत्र देवा पुत्र हीरालाल द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत नामा दिनांक 1.12.1998 को रूबरू गवाहान स्वस्थचित अवस्था में अपने भाई यानि भैरूलाल(अपीलान्ट) के पक्ष में निष्पादित किया था । उक्त आराजी में अपीलान्ट व अपीलान्ट के हक में देवा द्वारा की गई वसीयत के आधार पर हिस्सा 1/6 +1/6 कुल का 2/6 यानि 1/3 व कुल जोत का 1/6 हिस्सा बनाता है।

तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उक्त इंतकाल संख्या 334 दिनांक 29.11.2004 प्रशासन आपके द्वार–2004 में आनन–फानन में महज टार्गेज पूरा करने सें जल्दबाजी में बिना विधिक प्रकिया अपनाये,बिना नेसंर्गिक न्याय के सिद्वान्तो की पालना किये,बिना अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 9 व 12 को उक्त विवादित आराजी में नाम होने से पक्षकार बनाया है।

इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8.07.2024 को हुई व जानकारी होने पर नकल प्राप्त दिनांक 8.07.2024 को होने से अपील प्रस्तुत करने की तिथि तक जानकारी के अभाव हुऐ विलम्ब को मुजरा करने के उपरान्त अन्दर मियाद अपील न्यायालय में प्रस्तुत है तथा जानकारी के अभाव में व्यतीत समय के लिए धारा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.11.2004 निरस्त कर उक्त प्रकरण में समुचित सुनवाई हेतु तहसीलदार पीपल्दा को प्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्टस को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 7 की ओर से वकील चन्द्रमोहन शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश हुआ।

पत्रावली का अवलोन किया गया। उक्त अपील. वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.11.2004 के विरूद्व दिनांक 23.08.2024 को प्रस्तुत की गई है जो विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। वकील अपीलान्ट द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी नकल प्राप्त होने पर होना जाहिर किया गया है। अतः

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उक्त इंतकाल संख्या 334 दिनांक 29.11.2004 प्रशासन आपके द्वार–2004 में आनन–फानन में महज टार्गेट पूरा करने से जल्दबाजी में बिना विधिक प्रकिया अपनाये,बिना नेसंर्गिक न्याय के सिद्वान्तो की पालना किये,बिना अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 9 व 12 को उक्त विवादित आराजी में नाम होने से पक्षकार बनाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.11.2004 निरस्त कर उक्त प्रकरण में समुचित सुनवाई हेतु तहसीलदार पीपल्दा को प्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। वकील रेस्पोडेन्ट दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2004 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा मृतक देवा के हिस्से की पत्रावली में प्रस्तुत वसीयत के आधार पर आराजी स्वंय के नाम दर्ज होने के कारण उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में जिस वसीयत के आधार पर विवादित आराजी में हिस्सा चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो को सुना जाना चाहिए था न्यायालय इस बात से सहमत है कि पक्षकारो को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए था।

अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 29.11.2004 को अपास्त किया जाकर अपील इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारो को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसंवत निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 5/3/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा